षोडश

बिहार विधान सभा

नवम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि 25 फाल्गुन, 1939 (श0) / 16 मार्च, 2018 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 06

(1)	स्वास्थ्य विभाग	03
(2)	योजना एवं विकास विभाग	01
(3)	ऊर्जा विभाग	01
(4)	आपदा प्रबंधन विभाग	01
	कुल योग —	06

कार्रवाई करना

'क'-14. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी--दिनांक 10 जनवरी, 2018 को दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक "Purnia Teachers told to submit fake flood relief bills, 4 officers under scanner" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गत वर्ष पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बायसी अनुमंडल के चार प्रखंड यथा बायसी, बनमनखी, अमौर एवं डगरूआ बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित हुआ था ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित प्रखंडों के बाढ़पीड़ितों के बीच मुआवजे की राशि के वितरण में कई करोड़ रु0 की अनियमितता की गई जिसके लिये संबंधित पदाधिकारियों द्वारा मुआवजा वितरण के कार्य में लगे शिक्षकों से जाली बिल तैयार करवाया गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुआवजे के भुगतान में करोड़ों रु0 की राशि की हुई अनियमितता की जाँच कराकर कबतक दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लक्ष्य पूर्ण करना

24. श्री श्याम रजक--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 10 जनवरी, 2018 को प्रकाशित शीर्षक "हर्जाना देना मंजूर, पर गैर-परम्परागत बिजली में दिलचस्पी नहीं" के आलोक में क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार विद्युत् विनियामक आयोग ने प्रदेश के कुल बिजली खपत का 17 प्रतिशत गैर-परम्परागत ऊर्जा से प्राप्त करने का निदेश दिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तय मानक के अनुसार गैर-परम्परागत ऊर्जा आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण बिहार राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी ने 133 करोड़ रुपये हर्जाना बिहार विद्युत् विनियामक आयोग को भरा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गैर-परम्परागत स्रोत से ऊर्जा का 17 प्रतिशत का लक्ष्य पूर्ण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बताना

25. श्री भाई वीरेन्द्र--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 11 फरवरी, 2018 को प्रकाशित शीर्षक "सी0 एम0 चिकित्सा कोष के 50 करोड़ का हिसाब नहीं" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैंसर, हृदय, किडनी और बहरेपन जैसे असाध्य रोगों के शिकार मरीजों के इलाज में सहायता हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से आई0जी0आई0एम0एस0, पटना को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कुल 50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी थी जिसकी निकासी कर वितरण का अभिलेख स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

नोट--'क'-दिनांक 9 मार्च, 2018 को सदन द्वारा स्थगित ।